कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(**DUDA**), बांका
जिला– बांका

A-D 18.12.17

15 DEC 2017 प्राप्ति तिथि

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, बांका के फरवरी 2010 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 404 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

-Sd-
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14692 / 278 दिनांक– 27.11.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बांका

तनवीर हसन 27/11/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी 18 DEC 2017 12420

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र–I

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–404/17–18

भाग–I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण,बांका
2.	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम	श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता.
3.	लेखा की अवधि	02/2010 से 03/2017
4.	लेखा परीक्षा की तिथि	11.04.17 से 22.04.17
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	i. श्री पवन कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी II. श्री धीरेन्द्र सिंह,लेखा परीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री विनय शील गौतम,व0ले0प0अ0
7.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	माह 07/10 से 03/2017 तक की लेखा अवधि से संबंधित लेखा एवं लेखा अभिलेखों की नमूना जॉच की गई। चयनित माह 03/2016 और 08/16 में निकासी की गई राशि एवं सम्पूर्ण लेखा अवधि में जमा की गई राशि का सत्यापन जिला कोषागार बांका के अभिलेखों से की गई। पदास्थापित कर्मिकों की सेवा पुस्तिका की नमूना जॉच की गई।
8.	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	(प्रथम लेखापरीक्षा)
9.	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया?	हाँ, उठाई गई आपतियों पर कार्यपालक अभियंता, बांका के साथ दिनांक 22.04 .17 को विचार विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतू कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

भाग–II खण्ड (क)

कंडिका सं : 1

(i) एकल निविदा की अनियमित स्वीकृति राशि रू. 100.80 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधानानुसार एकल निविदा के मामले में सक्षम प्राधिकारी से एक अगले उच्च पदाधिकारी से अनुमोदन लेकर निविदा का निष्पादन किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी को स्वीकृति देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निविदा आमंत्रण के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है एवं पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। यदि इसमें थोड़ा भी संदेह उत्पन्न होती है कि निविदा का उचित प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है तो ऐसे निविदा को तुरंत ही निरस्त कर देना चाहिए एवं पुर्ननिविदा का आमंत्रण भी करना चाहिए। निविदा के व्यापक प्रचार–प्रसार से प्रतिस्पर्द्धात्मक दर प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है जिससे सरकार को उसका लाभ मिल सके।

क्रम सं	योजना का नाम	एकरारनामा सं	संवेदक का नाम	एकरारित राशि	कार्य आरभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	मापी पुस्तिका के अनुसार योजना पर व्यय
1	विदायदिन अमरुद्दीन के घर से चुरौली मस्जिद तक पी.सी.सी. सड़क एवम तीन कल्भर्ट का निर्माण	2 F2/ 2012-13	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	2404138	21.12.2012	20.3.2013	2403201
2	वार्ड न.1 एवम 3 में सुनैना देवी के घर से नीलाम्बर के घर होते हुए बेचू मंडल के घर तक पथ में पी.सी.सी. एवम नाला निर्माण	3 F2/ 2013-14	श्री विकाश चौरसिया	2752552	22.7.2013	21.10.2013	2752257
3	वार्ड न.18 में अमृत यादव के घर से डोरी यादव के घर तक पी. सी.	5 F2/ 2015-16	श्री भगवती कुमार सिंह	2118740	30.5.2015	29.8.2015	2049270

	सी. एवम नाला निर्माण						
4	*वार्ड न. 10 अमरपुर सुबोध दास के घर से महादलित टोला में चंदू दास के घर होकर छोटी दुर्गा स्थान तक पी.सी. सी. एवम नाला का निर्माण*	13 F2/2015 - 16	श्री पंकज कुमार दास	1443193	1.8.2015	30.9.2015	1424657
5	वार्ड न. 7 चंसार तालाब में सौंदर्यकरण हेतु सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य	23 F2/ 2012-13	श्री जयंत प्रधान	1362049	26.1.2016	25.4.2016	1362022
	कुल			10080672			9991407

1. क्रम सं 1 से संबंधित निविदा में 4 लोगों ने भाग लिया । जिसमें से 3 लोगों का निविदा शर्त के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अमान्य करार दिया गया । शेष बचे श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को यह कार्य बी.ओ. क्यू रेट पर आवंटित किया गया ।
2. क्रम सं 2 से संबंधित निविदा में 4 लोगों ने भाग लिया जिसमें से 3 लोगों का निविदा शर्त के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अमान्य करार दिया गया । शेष बचे श्री विकाश चौरसिया को यह कार्य बी.ओ.रेट से 10% कम पर आवंटित किया गया ।
3. क्रम सं 3 से संबंधित निविदा में 4 लोगो ने भाग लिया । जिसमें से 3 लोगो का निविदा शर्त के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अमान्य करार दिया गया । शेष बचे श्री भगवती कुमार सिंह को यह कार्य बी.ओ.रेट से 10% कम पर आवंटित किया गया ।
4. क्रम सं 4 से संबंधित निविदा में सिर्फ 1 व्यक्ति ने भाग लिया । यह कार्य श्री पंकज कुमार दास को बी.ओ.रेट से 10% कम पर आवंटित किया गया ।
5. क्रम सं 5 से संबंधित निविदा में 2 लोगों ने भाग लिया । जिसमें से 1 व्यक्ति का निविदा शर्त के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अमान्य करार दिया गया । शेष बचे श्री जयंत प्रधान को यह कार्य बी.ओ.रेट से 10% कम पर आवंटित किया गया ।

उपर्युक्त संचिका की जांच से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना में प्रतिस्पर्द्धात्मक दर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से व्यापक प्रचार–प्रसार कर निविदा को पुर्नआमंत्रित नहीं किया गया ।

जिससे स्पष्ट है कि निविदा का निष्पादन उचित प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया। जो कि उपरोक्त नियम की अवहेलना है , साथ ही प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित हो गया।

इस सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3162 /9.5.2016 के पत्र निर्गत होने के पश्चात एकल निविदा में नियम 163 का पालन करना प्रारभ कर दिया गया I

जवाब मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया साथ ही संबंधित पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया I

भाग–II खण्ड (ख)

कंडिका सं : 2

बिलम्ब शुल्क की कम कटौती (रु 4.25 लाख)

According to F2 Agreement Condition Of Contract Clause 2 the Contractor will be liable to pay as compensation an amount equal to $\frac{1}{2}$% on the said estimated cost of the whole work every day that the due quantity of work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the tender.

परन्तु योजना संचिका के नमूना जांच में पाया गया की कार्यालय द्वारा इसके विपरीत बिलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गयी । विवरण निम्न है :-

क्रम स०	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	संवेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	की जाने वाली कटौती	की गयी कटौती	कम कटौती	बिलम्ब
1	वार्ड न.10 अमरपुर सुबोध दास के घर से महादलित टोला में चंदू दास के घर होकर.......पथ में पी.सी.सी. एवम नाला निर्माण	13 F2 /2015 - 16	श्री पंकज कुमार दास	1603548	30.9.2015	25.2.2017	160355	----	160355	17 माह
2	वार्ड न.14 फुलवासा तालाब पर सौन्द्रियकरण हेतु .. घाट का निर्माण	26 F2 /2015-16	श्री साजन कुमार साह	1513388	28.4.2016	13.11.2016	151339	---	151339	7 माह
3	केन्द्रीय विद्यालय बांका के सामने तुंकी पंडित के घर से राजू मंडल के घर तक पी.सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण	19 F2 /2015-16	श्री सुभाष साह	1136680	17.3.2016	3.5.2016	113668		113668	2 माह
	योग			4253616			425362		425362	

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है उपरोक्त नियम का अवहेलना कर संवेदक के विपत्र से बिलम्ब शुल्क की नहीं कटौती कर संवेदक को लाभ पहुचाया गया I

इस सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि उक्त योजना का कार्य समय पर पूर्ण हो गया था परंतू योजना का जांच जिला पदाधिकारी के द्वारा कराये जाने के कारण मापी पुस्त में मापी दर्ज बिलम्ब से हुआ साथ ही उपरोक्त बातो का आगे से ध्यान रखा जाएगा ।

जवाब मान्य नहीं है क्योकि कार्य पूर्ण होने के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कंडिका सं : 3

ढुलाई पर अनियमित भुगतान रु 11 .70 लाख

वित् विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 2.1.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्ही संस्थानों से किया जाना है जो वैट से निबंधित हो साथ ही निर्माण कार्य में लघु खनिज यथा –पत्थर,बालू, ईट, मिट्टी एवम अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है। उक्त लघु खनिज की खरीदारी बिहार लघु खनिज नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक,याउप – पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में अपना शपथपत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' केशपथ को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर दे स्वमित्य के अतिरिक्त खनिजके मूल्य एवम अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करनेका प्रावधान है।

योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया की ढुलाई पर रु. 1052801.00 व्यय किया गया परन्तु किसी भी अभिलेख में न ही चलान और न ही प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' कार्यकारी एजेंसी द्वारा सलंग्न किया गया था जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेंसीयो को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है विवरण निम्न है :-

क्रम सं०	योजना का नाम	एकरारनामासंख्या	संवेदक का नाम	सामग्री/मात्रा	ढुलाई पर व्यय
1	वार्ड न.18 में अमृत यादव के घर से डोरी यादव के घर तक पी. सी. सी. एवम नाला निर्माण	5 F2/ 2015-16	श्री भगवती कुमार सिंह	सोन बालू /112.928M3	20336
				स्टोन चिप्स /225.808M3	354948
2	वार्ड न.10 अमरपुर होकर सुबोध दास के घर से महादलित टोला में चंदू दास के घर होकर ....पथ में पी.सी.सी. एवम नाला निर्माण	13 F2 /2015 - 16	श्री पंकज कुमार दास	सोन बालू /41.04M3	11270
				स्टोन चिप्स /44.52M3	72759
3	वार्ड न.14 फुलवासा तालाब पर सौन्द्रियकरण हेतु .. घाट का निर्माण	26 F2 /2015-16	श्री सजन कुमार साह	सोन बालू /64.55M3	17726
				स्टोन चिप्स /90.9337M3	148613
4	वार्ड न7. चंसार तालाब में सौन्द्रियकरण हेतु .. घाट का निर्माण	23 F2 /2015-16	श्री जयंत प्रधान	सोन बालू 64.55 /M3	17726
				स्टोन चिप्स /90.93376M3	148613
5	समाहरणालय मेन रोड से जनार्दन यादव के घर होते हुए रवि सिन्हा के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण	2 F2 /2015-16	श्री भगवती कुमार सिंह	सोन बालू 62.53 /M3	11298
				स्टोन चिप्स /125.4776M3	197226
6	केन्द्रीय विद्यालय बांका के सामने तुंकी पंडित के घर से राजू मंडल के घर तक पी.सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण	19 F2 /2015-16	श्री सुभाष साह	सोन बालू 51.192 /M3	9249
				स्टोन चिप्स /102.36 M3	160900
	कुल				
	10% कम करने के बाद राशि				1170664